

**Format C-2**

(राजनैतिक दल द्वारा वेबसाइट, समाचार—पत्रों/टी वी में प्रकाशित करने हेतु)  
पार्टी द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

राजनैतिक दल का नाम – राष्ट्रीय लोकदल, निर्वाचन का नाम – लोकसभा– 2024  
राज्य/केन्द्र शासित का नाम – उत्तर प्रदेश

निर्वाचन क्षेत्र का नाम – 4-बिजनौर, अभ्यर्थी का नाम – चन्दन चौहान

**(ए) लम्बित आपराधिक मामले**

क्र० सं०	न्यायालय का नाम	अपराध संख्या और तारीख	वाद की स्थिति	अपराध से सम्बंधित अधिनियम की धारायें
1.	एडीशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट – I, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)	(i)14046 / 2017 एवं (ii)10848 / 2017	लम्बित लम्बित	धारा <b>171E IPC, &amp; 188 IPC</b> धारा <b>171E IPC, &amp; 188 IPC</b>
2.	चीफ जुडिशियल (जे0डी) कोर्ट नं० 1, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)	28143 / 2022	लम्बित	सेवशन <b>188-269-270-171H IPC</b> Disaster Management Act 2005, 3(1) The Epidemic diseases (amendment) Ordinance, 2020

(बी) दण्डनीय अपराध का दोष सिद्ध प्रकरण के सम्बंध में विवरण – लागू नहीं

---

(राष्ट्रीय लोकदल पीटी.62/27 (बेसमेंट), कालकाजी एक्सटेंशन,, नई दिल्ली-110019) द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारित)